न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर

पीठासीन अधिकारी — प्यारेलाल सोठवाल
RAS

प्रकरण सं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/11	136 LR Act	26.07.2021	17.02.2022

बउनवान

1. तहसीलदार अलवर — प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मुकेश पत्नी श्री पूरन चंद अहीर निवासी फूसापुर तहसील मुण्डावर — अप्रार्थी

प्रा. पत्र 136 LR Act

निर्णय

प्रार्थी तहसीलहर अलवर ने न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रस्तुत किया। प्रा. पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमावंदी सम्वत 2069—72 के खाता सं. 218 खसरा नंबर 563 रुब 0.12 है. श्रीमती मुकेश पत्नी श्री पूरन चंद अहीर निवासी फूसापुर तहसील मुण्डावर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 563 रकबा 0.12 है. की रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नम्वर का रुवा ०.५० है, बनता है। जमाबंदी व राजस्व नक्शे मे प्रश्नगत खसरा नम्बर में रखने में अधिक अन्तर है। मौके पर खसरा नम्बर 563 रकबा कटी घाटी से उमरैण जाने वाले मुख्य सडक पर स्थित होकर अवैध प्लाटिंग की हुई है। खसरा नम्बर 563 मे रिकार्ड से अधिक 0.28 है. भूमी इसी राजस्व गांव में स्थित अन्य सिवायचक खसरा नम्बरों की जांच की गई। दौराने जाँच जाहिर आया कि खसरा नम्बर 76 रकबा 0.11 है0, व खसरा नम्बर 151 रकबा 0.58 है, व खसरा नम्बर 803 रकबा 0.15 है का राजस्व नक्शे मे रकबा कम अंकित है। जिसका विवरण इस प्रकार है—

खसरा नम्बर	जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रकबा	राजस्व नक्शें के अनुसार रकबा	प्रस्तावित	
			कमी	बेशी
563	01.12 हैं0	0.40 हैं0	—	0.28 है0
76	0.11 है0	0.06 है0	0.05 है0	—
151	0.58 हैं0	0.42 हैं0	0.16 है0	—
803	0.15 है0	0.08 है0	0.07 है0	—
योग	0.96 हैं0	0.96 हैं0	0.28 है0	0.28 है0

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

तहसीलदार अलवर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान प्रचलित राजस्व नक्शा वाके ग्राम भाखेडा में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

हमने प्रार्थी तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया।

मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 ग्राम भाखेडा के खसरा नम्बर 563 का रकबा 0.12 है0 है। प्रार्थी तहसीलदार अलवर में अवगत कराया कि खसरा नंबर 563 का रकबा 0.12 है0 हैं, किन्तु मौके पर उक्त खसरा नं. 563 का रकबा अधिक है उक्त अधिक बढा हुआ रकबा अन्य सिवायचक खसरा नम्बरान का है। अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में उक्त तथ्य को स्वीकाराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.12 है. वाके ग्राम भाखेड़ा पर ही काबिज है। बढ़े हुए रकबे से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है।

अतः अप्रार्थी के इकबालिया जवाब के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नं0 563 रकबा 0.12 है0 को वर्तमान राजस्व नक्शें में दुरूस्त करे तथा बढे हुए रकबे को अन्य सिवायचक खसरा नम्बरान में दर्ज करे। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(प्यारेलाल सोठवाल)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)